e-mail

पत्र संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(विविध)02–41 / 2007–........... /

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

रॉबर्ट एल0 चोंग्थू,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /
सचिव / विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–............, 2026

*विषय : **बिहार विधान सभा / विधान परिषद् के पदाधिकारी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र की अवधि में पदाधिकारी दीर्घा के प्रथम पंक्ति में पूर्व की भांति एक–एक स्थान क्रमशः मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / सचिव, गृह विभाग / सचिव, वित्त विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उक्त विभाग / अन्य विभाग के कनीय पदाधिकारी उन सुरक्षित स्थानों पर बैठ जाते हैं, बाद में वरीय पदाधिकारी के आने पर उनको बैठने में कठिनाई होती है।

अतः विभागों से संबंधित वाद–विवाद / प्रश्नादि के उत्तर देने की आवश्यकता जिस दिन नहीं हो उस दिन उन विभागों के पदाधिकारी, पदाधिकारी दीर्घा में स्थान का उपयोग न करें। पदाधिकारी दीर्घा में स्थान की कमी एवं पदाधिकारियों की अधिक संख्या के कारण यह व्यवस्था करना भी अपेक्षित है कि यदि स्थान से अधिक पदाधिकरियों की उपस्थिति हो तो प्रश्नादि के उत्तर देने में जिन विभागों का क्रम बाद में हो वे पहले क्रम वाले विभाग के पदाधिकारियों को बैठने में प्राथमिकता दें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वरीय पदाधिकारी के आने पर कनीय पदाधिकारी उनके लिए स्थान खाली कर दें।

अनुरोध है कि बिहार विधान सभा / विधान परिषद् के पदाधिकारी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था के संबंध में अपने अधीनस्थ विभागीय पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि पदाधिकारी दीर्घा में आसन की समस्या उत्पन्न नहीं हो एवं सत्रावधि में विधायी कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से हो सके।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(रॉबर्ट एल0 चोंग्थू)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(विविध)02–41 / 2007–815 / पटना, दि0–13.07.2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुधांशु
10.07.2026

(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

July_2026_Assembly commence & Prorogue.docx